

१

पत्र सं०-६/अ७-४८/२००२-२५/८

झारखण्ड सरकार  
मा नव संसाधन विकास किंग  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

देखक,

श्री महादीर प्रसाद, भा०पु०स०  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,  
श्री अब्दुल्लाह, एस.इ.  
नई दिल्ली ।

राँची, दिनांक-११.५ - २००२

विषय:- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को सी.बी.एस.इ. से  
अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र किंतु करने के सम्बन्ध में ।

महाराय,

निदेशालय सार कहना है कि मा नव संसाधन विकास किंग, झारखण्ड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी.बी.एस.इ. से निजी विद्यालय को संबद्धता के लिये निम्नांकित विद्यालयों को नीचे अंकित जाते एवं बन्धेयों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र किंतु करने का विषय तिया है ।

क्रमांक

विद्यालय का नाम

१. श्रीन लैण्ड एडिलक स्कूल हटिया, राँची ।
२. स्वामी श्रद्धानन्द डी.ए.भी., राँची ।
३. डी.ए.भी. मन्दराज, प्राइवेट स्कूल, पी.ए.ए.सी. कॉलनी बर्द्धमान कम्पाउन्ड, राँची ।
४. किला पाण्डेय मेमोरियल ज्ञान भिकेतन विद्यालय, सुदना, डालटनगंग ।
५. डी.ए.भी. प्राइवेट स्कूल, गोकुलपुर, पाकुड़ ।
६. लेडी.के.सी.राय मेमोरियल, रातु रोड, राँची ।

शर्तेः-

अ ।. विद्यालय की वार्षिक बचत आय का १० प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित

लिखा  
क०९०३० /  
१४४०८

नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में ही किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय खेतन पर्व भवतों के बराबर सुनिश्चान दरना होगा।

2. विद्यालय को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जा येगा।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में दो एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में चार एकड़ दूषि विद्यालय के नाम से निर्बंधित या लम्ब से कम 30 वर्षों के निर्बंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई निश्चित रूप से होनी चाहिए।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डौनेशन या कैपिटेशन की नहीं लिया जायेगा।

6. गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए कम से लम्ब 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा तथा उनसे लिया जानेवाला शुल्क सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत होगा।

7. विद्यालय का लार्यलाप राष्ट्रद्वित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयतां दा सेवार, ऐतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों के विकास, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धन शारीरिक विकास एवं व्यक्तिगत विकास हेतु सरारात्मक प्रयास दरना होगा।

8. विद्यालय में विद्यार्थियों की समूचित संख्या होनी चाहिए तथा उनके अनुपात में शिक्षकों की भी संख्या होनी चाहिए।

9. नामांकन के लिए स्वीकृत स्थान, नामांकन प्रक्रिया, विद्यालय कर्मियों की संख्या, उनकी अपेक्षित योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया आदि में समय-समय पर सरकार सभी क्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमाकाली के आधार पर गठित गासी निकाय के सदस्यों की कार्य अवधि पूरा होने पर नये सदस्यों ली सूची संर्भित जिला शिक्षा पदाधिकारी को लायलिय में जमा दरना होगा।

11. विद्यालय में राज्य/लेन्ड्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेशन प्रोग्राम तथा एन.सी.एस., एन.सस.एस., स्कॉउट एवं गार्ड आदि की सुचारू रूप से करना होगा।

18/11/2000  
14-11-2000 कृपया 030

12. यदि बोर्ड संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है तो किमानीय परिषद देखा-1055 दिनांक 5.9.2001 के अनुसार शतौं छा पालन करना होगा। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा।

13. उपर्युक्त शतौं या बन्धें/बन्धें के अनुपालन नहीं ढरने पर राज्य समीक्षोपरान्त निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने छा अधिकार होगा।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र ने लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेख यदि जाली ज्ञानवाचकान्विक स्थिति से भिन्न पाये जायें, विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्यहित के विलक्षण कृत्य किया जा रहा हो या ऐसा कार्य किया जा रहा हो जिससे समाज में कठुता फैले तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

15. अनापत्ति की शतौं का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संशोधन, विकास विभाग द्वारा सहभागी राज्य सरकारी द्वारा की जायेगी। सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं ज्ञानीय अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुबतीं कार्य वापस ढर सकेगी।

16. स्तर विषयक किसी प्रकार के न्यायिक ग्रामलौं का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

#### विश्वासनामन्

महावीर प्रसाद  
महावीर प्रसाद  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय,  
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक-2618/राँची, दिनांक-14-अप्रैल, 2002

प्रतिलिपि- सैर्वेतिहासिक जिला शिक्षा पदाधिकारी/सैर्वेतिहासिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ प्रेषित।

महावीर प्रसाद  
महावीर प्रसाद  
निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,  
झारखंड, राँची।